पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय)

शिलांग, 21 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 261.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय शिलांग, निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) और सहायक इंजीनीयर (सिविल) भर्ती (संशोधन) नियम, 1998, जहां तक वे निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के पद के संबंध में हैं, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतदद्वारा पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय शिलांग, निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) वर्ग 'क' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से स्तंभ 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों की भर्ती की प्रणाली, आयु-सीमा और अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. **निरर्हता.**—जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवति हों ; या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर-प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय है
1	2	3	4	5	6
1. निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)	1* (2005) *(कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	12,000-375-16500 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं	लागू नहीं	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती प्रणाली :—सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वालें पदों का प्रतिशत	यदि भर्ती, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) :—सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुंक्ति या पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) :** 1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी जो : (क) (1) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों या (2) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु० 10000-15200 के वेतनमान वाले पदों या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (3) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु० 8000-13500 के वेतनमान के पदों या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दस वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से भौतिक विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान या भूभौतिकी या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री। (2) अनुसंधान और विकास के संबंध में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से तीन वर्ष का अनुभव विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की परियोजना की आयोजना, तैयारी और पर्यवेक्षण से संबंधित होना चाहिए। **सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए :** **प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन :** सशस्त्र बल के लेफ्टिनेंट कर्नल या उच्चतर स्तर के कार्मिक जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त या रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हों और जो प्रतिनियुक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, उन पर भी विचार किया जाएगा। चयन हो जाने पर ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति दी जाएगी जिस तारीख से वे सशस्त्र बल से कार्यमुक्त होने वाले हों। उसके बाद पुनर्नियोजन आधार पर उनकी सेवाएं जारी रखी जा सकेंगी। यदि ऐसे पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन के पूर्व सेवानिवृत हो गए हों या रिजर्व के लिए स्थानांतरित हो गए हों तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर होगी (सिविल) पद के संदर्भ में अधिवार्षिता की तारीख तक पुनर्नियोजन) (केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के स्थायीकरण पर विचार करने के लिए वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय —सदस्य	पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

[फा० सं. एन ई सी/ए डी एम/10/2003/खंड-II]

राजीव माथुर, उप सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat)

Shillong, the 21st July, 2005

G.S.R. 261.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong Director (Science and Technology) and Assistant Engineer (Civil) Recruitment (Amendment) Rules, 1998, in so far as they relates to the post of Director (Science and Technology), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Science and Technology) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong Director (Science and Technology) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contacted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to e provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and ex-servicemen in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972
1	2	3	4	5	6
Director (Science and Technology)	1* (2005) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs, 12000-375-16500	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for re-employed Armed Forces Personnel.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11	12
Deputation (including short-term contract). For Armed Forces Personnel : Deputation or re-employment.	**Deputation (including short-term contract) :** Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations; (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 10000—15200 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 8000—13500 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience; (i) Master's Degree in Physics or Geology or Geophysics or Chemistry or Botany or Bachelors Degree in Engineering or Technology from a recognised University or equivalent. (ii) Ten years' experience on Research and Development out of which three years' experience should be to planning formulation and supervision of project in the field of Science and Technology. **For Armed Forces Personnel :** Deputation or re-employment. The Armed Forces Personnel of the rank of Lieutenant Colonel or above who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the requisite experience and qualifications prescribed for deputationists shall also be considered. If selected such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be contimued on re-employment terms. In case such eligible officers have been retired or have been transferred to reserve before actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the date of superannuation with reference to civil posts). [Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contact) in ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4(four) years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.]

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee considering /confirmation of Armed Forces Personnel re-employed. (1) Secretary, North Eastern Council Secretariat —Chairman (2) Joint Secretary, Ministry of Development of North Eastern Region. —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these recruitment rules.

[F. No. NEC/ADM/10/2003 Vol. II]

RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.